

RR No. 2006
1312-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 2(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक 7-12-11

—: आदेश —

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1.11.2011 के क्रमांक 3 पर अंकित निम्न अधिकारी को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सामुख अंकित आवंटित किये गये आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम आवंटि	वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या	रोवानिवृति दिनांक
1	श्री मुहम्मद असलम खां सहायक निदेशक, निदेशालय यूनानी विकित्सा विभाग, जयपुर	40/2011	2/5, हीराबाग	31.7.2019

आज्ञा से

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
6. निदेशक, यूनानी विकित्सा विभाग, जयपुर।
7. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटि से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटि द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में अराफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
8. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि0 हीराबाग, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गौधीनगर/हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्था करावें।
11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. श्री मुहम्मद असलम खां, सहायक निदेशक, निदेशालय यूनानी विकित्सा विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त की तिथि से नियम 11(III)ए के तहत छः माह पश्चात् भूतल गौधीनगर/हीराबाग हेतु विचारणीय होगा।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.प्र.वि।
14. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
15. रक्षित भण्डारण।

OIC (web)

A
13-12-2011

सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

:- आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	28/04	श्री शैलेन्द्र श्रीमाली आर.ए.एस. शासन उप सचिव आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।	एन-9, गांधीनगर	30.11.2015
2.	37/2010	श्री गणपति महावर आरपीएस डिप्टी कमाण्डेन्ट पॉववी बटालियन आरएसी घाटगेट जयपुर	एम-14, गांधीनगर	31.7.2026
3.	45/2010	श्री बच्छराज सोनी मुख्य लेखाधिकारी पदायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एन-26, गांधीनगर	28.2.2015
4.	38/2011	श्री शक्ति सिंह राठी आर.ए.एस. महाप्रबन्धक (प्रशासन) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर (नीतिगत निर्णय अनुसार)	103, प्रथम तल मॉडल टाउन मालवीयनगर	31.5.2028
5.	43/2011	श्री राकेश कुमार माथुर मुख्य रसायन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर	2/5, हीराबाग	30.6.2022

शर्तें


- आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान रिजिल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा गार्ड/वर्कर्स के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- यूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/अहर्ण विभाग अधिकारी- कृपया आवंटनी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटनी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का क्रम करावे।
- आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाही अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/परिवार व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- श्री शक्ति सिंह राठी से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, रामपदा विभाग, गिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
5. कमाण्डेन्ट 5वीं बटालियन आर ए सी, घाटगेट, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, जीएफएण्डआर, वित्त विभाग, जयपुर।
7. महाप्रबन्धक, प्रशासन राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
10. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी कोष कार्यालय जयपुर शहर जयपुर।
12. कोषाधिकारी/अभियन्ता/सर्वजनिक निर्माण विभाग/जयपुर विभागे/निगम लि०, गांधीनगर/हीराबाग, जयपुर।
13. संबंधित विभागाध्यक्ष/आवरण गिरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती को कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटित द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश को शर्त संख्या-8 को पालना को भी अमल में लावे।
14. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
15. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवे। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर बरपा करावें।
17. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
19. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
20. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव (र)
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

oic(web)
A
13-12-11

RFN No. 2007

13-12-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.2(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक 07-12-11

:- आदेश :-

डॉ० प्रभात कांवरिया, सह आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 23/2009 है तथा सेवानिवृति दिनांक 30.6.2035 है के आधार पर इस विभाग के आदेश संख्या प. 2(1)साप्र/2/2010 दिनांक 23.8.2010 के द्वारा उनके निवास हेतु आवंटित राजकीय आवास संख्या 2/3, हीराबाग, जयपुर के स्थान पर 6/2, हीराबाग, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :-

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।


आज्ञा से,



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निबंधक एवं प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा० अमि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, हीराबाग/गांधीनगर जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. डॉ० प्रभात कांवरिया, सह आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
13. डॉ० प्रभात कांवरिया, निवासी 2/3, हीराबाग, जयपुर-कृपया परिवर्तित आवास संख्या 6/2, हीराबाग का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर सूचित करें।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
15. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

OC (Web)
A
13-12-2011